हिमाचल प्रदेश सरकार
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग

संख्याः एस0जे0ई0-बी0-सी0(17)-1/ 2021 तारीख शिमला-2, 24th अगस्त, 2021

अधिसूचना

सेवाओं या प्रसुविधाओं या सहायिकियों को प्रदान करने के लिए आधार का एक पहचान दस्तावेज के रूप में प्रयोग, सरकार की परिदान प्रक्रिया को सुगम बनाने, पारदर्शिता और दक्षता लाने और लाभार्थियों को सुविधाजनक और निर्बाध रीति में किसी की पहचान साबित करने के बहुविध दस्तावेज प्रस्तुत करने की आवश्यकता हटाकर प्रत्यक्षतः उन्हें हकदारियां प्राप्त करने हेतु समर्थ बनाता है;

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग (जिसे इसमें इसके पश्चात् विभाग कहा गया है) हिमाचल प्रदेश सुरक्षा (पैंशन/भत्ता) नियम, 2010 (जिसे इसमें इसके पश्चात् स्कीम कहा गया है) के अधीन विधवा/परित्यक्ता/एकल नारी पैंशन स्कीम के अधीन उनके जिनकी वार्षिक आय 35000 रूपए वार्षिक आय से कम है और बिना किसी आय मानदण्ड के उनको, जिनकी आयु 70 वर्ष और उससे अधिक है तथा जो किसी अन्य प्रकार की पैंशन प्राप्त नहीं कर रही के लिए विधवा/परित्यक्ता/एकल नारी पैंशन स्कीम प्रशासित कर रहा है जिसे अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक और विशेष रूप से सक्षम विभाग निदेशालय (जिसे इसके पश्चात् कार्यान्वयन अभिकरण कहा गया है) के अधीन जिला कल्याण अधिकारियों के माध्यम से कार्यान्वित किया जा रहा है;

स्कीम के अन्तर्गत सरकार द्वारा समय-समय पर यथा अधिसूचित विधवा/परित्यकता/एकल नारी पैंशन (जिसे इसमे इसके पश्चात् प्रसुविधा कहा गया है) की रकम पात्र विधवा/परित्यकता/एकल नारी (जिसे इसमें इसके पश्चात् लाभार्थी कहा गया है) और पूर्वोक्त स्कीम में हिमाचल प्रदेश राज्य की संचित निधि में से उपगत होने वाला आवर्ती व्यय अन्तर्वलित है।

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्ष्यित परिदान) अधिनियम, 2016 (2016 का 18), जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है, की धारा 7 के अनुसरण में निम्नलिखित अधिसूचित करते हैं, अर्थात्:-

1.(1) स्कीम के अधीन प्रसुविधाएं प्राप्त करने के लिए पात्र किसी व्यष्टि को एतद् द्वारा आधार संख्या धारण करने का सबूत प्रस्तुत करना या आधार अधिप्रमाणन प्रस्तुत करना

(2) स्कीम के अन्तर्गत प्रसुविधाएं प्राप्त करने की वाँछा रखने वाला कोई व्यष्टि, जिसके पास आधार संख्या नहीं है या जो अभी तक आधार के लिए नामांकित नहीं है, को स्कीम के लिए रजिस्ट्रीकरण से पूर्व आधार के नामांकन के लिए आवेदन करना अपेक्षित होगा, यदि वह उक्त अधिनियम की धारा 3 के अनुसार आधार अभिप्राप्त करने के लिए हकदार है और ऐसा व्यष्टि

-2/--

R&E Diary No. 164
Dated 8-9-2021

आधार का अभ्यावेशन करवाने के लिए किसी आधार अभ्यावेशन केन्द्र (सूची भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यू0आई0डी0ए0आई) वैवसाइट www.uidai.gov.in पर उपलब्ध है) पर जाएगा।

परन्तु जब तक किसी व्यष्टि को आधार सुमनुदेशित नहीं किया जाता है, तब तक ऐसे व्यष्टि को निम्नलिखित दस्तावेजों के प्रस्तुत करने के अध्यधीन स्कीम के अधीन प्रसुविधाएं प्रदान की जाएंगी, अर्थात्:-

(क) यदि उसने स्वयं को अभ्यावेशित कर दिया है, तो उसके पास अभ्यावेशन पहचान पर्ची है; (ख) निम्नलिखित में से कोई दस्तावेज है, अर्थात् -;

(i) फोटो सहित बैंक या पोस्ट आफिस पासबुक; या
(ii) स्थायी लेखा संख्या (पी.ए.एन.) कार्ड; या
(iii) पारपत्र; या
(iv) राशन कार्ड; या
(v) मतदाता पहचान कार्ड; या
(vi) मनरेगा कार्ड; या
(vii) किसान फोटो पासबुक ;या
(viii) मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) के अधीन अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा जारी चालन अनुज्ञप्ति; या
(ix) राजपत्रित अधिकारी या तहसीलदार द्वारा सरकारी लैटर हैड पर जारी ऐसे व्यक्ति के फोटो की पहचान वाला प्रमाणपत्र ;या
(x) विभाग द्वारा यथा विनिर्दिष्ट कोई अन्य दस्तावेज:

परन्तु यह कि उपरोक्त दस्तावेजों की विभाग द्वारा उस, प्रयोजन के लिए विनिर्दिष्ट रूप से नामनिर्दिष्ट किसी अधिकारी द्वारा जाँच की जाएगी।

2. स्कीम के अधीन सुविधापूर्वक लाभार्थियों को प्रसुविधाएं उपलब्ध करवाने के आशय से विभाग यह सुनिश्चित करने के लिए समस्त अपेक्षित व्यवस्थाएं करेगा कि उक्त अपेक्षाओं हेतु उन्हें जागरूक करने के लिए, लाभार्थियों हेतु मीडिया के माध्यम से व्यापक प्रचार किया गया है।

3. उन समस्त मामलों में जहाँ लाभार्थियों के अपकृष्ट (अस्पष्ट) बायोमैट्रिक के कारण से आधार प्रमाणन असफल रहता है, वहां निम्नलिखित उपचारात्मक कियाविधि अंगीकृत की जाएगी, अर्थात्:-

(क)अस्पष्ट उंगली छाप लक्षण/गुणवता (क्वालिटी) की दशा में,अधिप्रमाणन हेतु आंख की पुतली के स्कैन या चेहरा अधिप्रमाणन प्रसुविधा अंगीकृत की जाएगी,तद्द्वारा विभाग निर्बाध रीति में प्रसुविधाओं

-3/--

के परिदान हेतु उंगली-छाप अप्रिमाणन सहित आंख की पुतली के स्कैन या चेहरा अधिप्रमाणन के लिए व्यवस्थाएं करेगा;

(ख) यदि उंगली छाप या आंख की पुतली का स्कैन या चेहरा प्रमाणीकरण के माध्यम से बायोमैट्रिक अधिप्रमाणन की असफलता की दशा में, जहां कही भी साध्य और ग्राहय हो, वहां प्रमाणीकरण सीमित वैधता सहित, यथास्थिति, एक मुश्त आधार पासवर्ड या समयधारित एक मुश्त पासवर्ड द्वारा प्रदान किया जाएगा;

(ग) उन समस्त अन्य मामलों में जहां बायोमैट्रिक या एक मुश्त बार आधार पासवर्ड या समय आधारित पासवर्ड अधिप्रमाणन सम्भव नहीं है, वहां स्कीम के अधीन प्रसुविधाएं आधार वर्ण (अक्षर), जिसकी अधिप्रामाणिकता आधार पर मुद्रित तुरन्त प्रत्युत्तर (क्यू.आर.) कोड के माध्यम से सत्यापित की जाएगी और तुरन्त प्रत्युत्तर कोड का अर्थ लगाने (पढ़ने के लिए) के लिए विभाग सुविधाजनक स्थानों पर आवश्यक व्यवस्था करेगा।

4.उपरोक्त के अतिरिक्त स्कीम के अधीन कोई वास्तविक लाभार्थी उसको देय प्रसुविधाओं से वंचित न हों, विभाग डी0बी0 टी0 मिशन, कैबिनेट सैकेटेरिएट, भारत सरकार के कार्यालय ज्ञापन, तारीख 19 दिसम्बर, 2017 में यथा सारांशित अपवाद व्यवहृत कियाविधि का अनुसरण करेगा।

5. यह अधिसूचना राजपत्र (ई-गजट), हिमाचल प्रदेश में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगी।

आदेश द्वारा,

(संजय गुप्ता)
अतिरिक्त मुख्य सचिव (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता)
हिमाचल प्रदेश सरकार।

पृष्ठांकन सं0:एस0जे0ई0-बी0-सी0(17)-1/2021शिमला-2, 24th अगस्त, 2021

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ:-

1. समस्त प्रशासनिक सचिव, हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला-2
2. प्रधान निजी सचिव मुख्य मन्त्री, हिमाचल प्रदेश ।
3. सचिव, राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश, शिमला-171002
4. प्रधान महालेखाकार (लेखा परीक्षा)/वरिष्ठ उपमहालेखाकार, हि0प्र0, शिमला-3
5. श्री अरूण शर्मा,निदेशक,प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण, भारत सरकार, कैबिनेट सचिवालय (डी0बी0टी0 मिशन), चौथी मंजिल, शिवाजी स्टेडियम अनैक्सी, शहिद भगत सिंह मार्ग, नई दिल्ली-110001.
6. सहायक विधि परामर्शी एवं अवर सचिव (विधि-राजभाषा) हिमाचल प्रदेश सरकार।
7. समस्त मण्डल आयुक्त/विभागाध्यक्ष/जिलाधीश, हिमाचल प्रदेश ।
8. निदेशक, अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक मामले, हि0 प्र0, शिमला-9
9. समस्त जिला कल्याण अधिकारी, हिमाचल प्रदेश ।
10. नियन्त्रक, लेखन एवं मुद्रण सामग्री,हिमाचल प्रदेश शिमला-171005 ।

(राजेश शर्मा)
उप सचिव (सा0न्या0एवं अधि0)
हिमाचल प्रदेश सरकार।
दू0भा0न0 2880399/2880576

Government of Himachal Pradesh
Social Justice and Empowerment-B Section.

*****

No. SJE-B-C(17)-1/2021 Dated Shimla-171002, the 24th August, 2021

NOTIFICATION

Whereas, the use of Aadhaar as an identity document for delivery of services or benefits or subsidies simplifies the Government delivery processes, brings in transparency and efficiency, and enables beneficiaries to get their entitlements directly in a convenient and seamless manner by obviating the need to produce multiple documents to prove one's identity;

And whereas, the Department of Social Justice & Empowerment (hereinafter referred to as the Department), is administering the Widow/Deserted/Ekal Nari Pension Scheme under HP Social Security (Pension/allowance) Rules, 2010 (hereinafter referred to as the Scheme) to provide Widow/Deserted/Ekal Nari Pension to those whose annual income is below 35,000 Per Annum and without any income criteria to those having age 70 years & above and are not getting any other type of pension, which is being implemented through the District Welfare Officers under Directorate for the Empowerment of SCs, OBCs, Minorities & the Specially Abled of the Department;(hereinafter referred to as the implementing Agency (ies).

And whereas, under the Scheme, the amount of Widow/Deserted/Ekal Nari Pension as notified by the Government from time to time (hereinafter referred to as the benefit) is given to the eligible Widows, Deserted ladies & Single Women(hereinafter referred to as the beneficiaries) by the Department as per the extant Scheme guidelines;

And whereas, the aforesaid Scheme involves recurring expenditure incurred from the Consolidated Fund of Himachal Pradesh.

Now, therefore, in pursuance of section 7 of the Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and Other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016 (18 of 2016) (hereinafter referred to as the said Act), the Governor of Himachal Pradesh is pleased to notify the following, namely:-

1. (1) An individual eligible for receiving the benefits under the Scheme shall hereby be required to furnish proof of possession of the Aadhaar number or undergo Aadhaar authentication.

(2) Any individual desirous of availing benefits under the Scheme, who does not possess the Aadhaar number or, has not yet enrolled for Aadhaar, shall be required to make application for Aadhaar enrolment before registering for the Scheme provided that he is entitled to obtain Aadhaar as per section 3 of the said Act, and such individuals shall visit any Aadhaar enrolment centre (list available at the Unique Identification Authority of India (UIDAI) website www.uidai.gov.in) to get enrolled for Aadhaar.

--2/--

Provided that till the time Aadhaar is assigned to the individual, benefits under the Scheme shall be given to such individual, subject to the production of the following documents, namely :–

(a) if he has enrolled, his Aadhaar Enrolment Identification slip; and

(b) any one of the following documents, namely :-

(i) Bank or Post office Passbook with Photo; or
(ii) Permanent Account Number (PAN) Card; or
(iii) Passport; or
(iv) Ration Card; or
(v) Voter Identity Card; or
(vi) MGNREGA card; or
(vii) Kisan Photo passbook; or
(viii) Driving license issued by the Licensing Authority under the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988); or
(ix) Certificate of identity having photo of such person issued by a Gazetted Officer or a Tehsildar on an official letter head; or
(x) any other document as specified by the Department:

Provided further that the above documents may be checked by an officer specifically designated by the Department for that purpose.

2. In order to provide benefits to the beneficiaries under the Scheme conveniently, the Department shall make all the required arrangements to ensure that wide publicity through the media shall be given to the beneficiaries to make them aware of the said requirement.

3. In all cases, where Aadhaar authentication fails due to poor biometrics of the beneficiaries or due to any other reason, the following remedial mechanisms shall be adopted, namely:-

(a) in case of poor fingerprint quality, iris scan or face authentication facility shall be adopted for authentication, thereby the Department shall make provisions for iris scanners or face authentication along with finger-print authentication for delivery of benefits in seamless manner;

(b) in case the biometric authentication through fingerprints or iris scan or face authentication is not successful, wherever feasible and admissible authentication by Aadhaar One Time Password or Time-based One-Time Password with limited time validity, as the case may be, shall be offered;

3/--

HIMACHAL PRADESH STATE ELECTRICITY BOARD LIMITED
(A State Govt. undertaking)
Registered office: VidyutBhawan, HPSEBL, Shimla-171004(H.P)
Corporate Identity Number: U40109HP2009SGC031255
GST No.: HPSEBL 02 AACCH4894EHZB
Telephone Number: 0177-2803600,2801675(Office), 2813563(Fax)
Website address: www.hpseb.in
Email: md@hpseb.in &dif@hpseb.in

No. HPSEBL(Sectt.)R&E/Govt. Instt /2021- 41330-52 Dated; 10-9-21

Copy of above Notification No. SJE-B-C(17)-1/2021 dated 24th August,2021 is forwarded to the following for information and necessary action please:-

1 All the Chief Engineers in HPSEBL.
2 The C.A.O. F&A Wing HPSEBL Shimla-4.
3 The S.E(IT) HPSEBL Shimla for uploading the HPSEBL Website.
4 The Dy.Director (Pers)/Joint Director (PR) in HPSEBL Board Sectt.
5 All the Dy. Secretaries /Under Secretaries in HPSEBL Board Sectt.

DA- As above.

10/9/21
Under Secretary,(R&E)
HPSEBL Vidyut Bhawan
Shimla-4.

(c) in all other cases where biometric or Aadhaar One Time Password or Time-based One-Time Password authentication is not possible, benefits under the Scheme may be given on the basis of physical Aadhaar letter whose authenticity can be verified through the Quick Response code printed on the Aadhaar letter and the necessary arrangement of Quick Response code reader shall be provided at the convenient locations by the Department.

4. In addition to the above, in order to ensure that no bonafide beneficiary under the Scheme is deprived of his due benefits, the Department shall follow the exception handling mechanism as outlined in the Office Memorandum of DBT Mission, Cabinet Secretariat, Government of India dated 19th December 2017.

5. This notification shall come into effect from the date of its publication in the Rajpatra (e-Gazette), Himachal Pradesh.

By order

Sanjay Gupta
Additional Chief Secretary (SJ&E) to the
Government of Himachal Pradesh.

Endst. No.SJE-B-C(17)-1/2021 Dated Shimla-171002, the 24th August, 2021.

Copy to the following for information:-

1. All Administrative Secretaries to the Government of H.P, Shimla-2.
2. The Pr. Private Secretary to the Chief Minister, H.P, Shimla-2.
3. The Secretary to the Governor, Himachal Pradesh, Shimla-171002.
4. The Principal Accountant General (A&E)/Dy. Accountant General, H.P Shimla.
5. Sh. Arun Sharma, Director (DBT), Government of India, Cabinet Secretariat (DBT Mission), 4th. Floor, Shivaji Stadium Annexe, Shaheed Bhagat Singh Marg, New Delhi-110001 for information.
6. The Assistant Legal Remembrancer & Under Secy. (OL) to the Govt. of H.P.
7. All Head of Departments/Deputy Commissioners/Divisional Commissioners/ Boards/Corporation in Himachal Pradesh.
8. The Director, Empowerment of SCs, OBCs, Minority & Specially Abled, Himachal Pradesh, SDA Complex, Shimla-9
9. All the District Welfare Officer in Himachal Pradesh.
10. The Controller, Printing & Stationery, H.P, Shimla-5.

(Rajesh Sharma)
Deputy Secretary (SJ&E) to the
Government of Himachal Pradesh.
Ph. No.2880399/2880576